प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला– चौकी, एसीबी, पाली थाना– सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष– 2022
प्र. इ. रि. स. 483/22 दिनांक 23/12/2022

2. (अ) अधिनियम भ्र. नि. (सशोंधन) अधिनियम 2018 धारायें...7, भ्र.नि (संशोधन) अधि. 2018
(ब) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायें. .....
(स) अधिनियम .....धारायें.....
(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या 448 समय 3:10 pm
(ब) अपराध घटने का दिन– .....दिनांक 22.12.2022 समय 02.15 पी.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दि0 19.12.22 समय 10.30 ए.एम. बमुकाम जोधपुर

4. सूचना की किस्म– लिखित/मौखिक – लिखित

5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी–एसीबी चौकी पाली से उत्तर–पूर्व लगभग 100 कि.मी
(ब) पता – जैतारण कस्बे से बाहर जोधपुर बाईपास हाईवे पर युथ तिरंगा होटल जैतारण जिला पाली .....बीट सख्या .....जरायमदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना.....जिला.....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम.... श्री दिनेश
(ब) पिता का नाम श्री सत्यनारायण
(स) जन्म तिथि /वर्ष.....
(द) राष्ट्रीयता.....भारतीय
(य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....जारी होने की जगह.....
(र) व्यवसाय..... .....प्राईवेट.....
(ल) पता गांव जसनगर तहसील रियाबडी जिला नागौर हाल फौजी चौराहा जैतारण जिला पाली।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :– दिलीप सिंह पुत्र श्री मातादीन उम्र 33 वर्ष जाति मीणा निवासी मीणा की ढाणी, उधो का बास पुलिस थाना बानसुर तहसील बानसुर जिला अलवर हाल कानि. 1459 पुलिस थाना जैतारण जिला पाली।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :– कोई नही.....

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
.....7,000/– रूपये रिश्वत राशि.....

10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).....7,000/– रूपये रिश्वत राशि .....

11. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली विषयः– रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवानें बाबत्। महोदयजी, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मै दिनेश पुत्र श्री सत्यनारायण जाति माली निवासी गांव जसनगर तहसील रियाबडी जिला नागौर वर्तमान में जैतारण में फोजी चौराहे पर किराये के मकान में रहता हु। मै मेरे टेक्टर बजरी में चलानें का काम करता हु। बुधवार दिनांक 14.12.2022 को मुझे व मेरी पत्नि सायता देवी को पुलिस थाना जैतारण से आये पुलिस स्टाफ श्री सुरज्ञान व अन्य स्टाफ हम

दोनों को पकडकर थानें ले गयें। मेरे पर मोटर साईकल चोरी का आरोप लगाकर मेरे साथ मारपीट की तथा मुझे थानें में चार दिन तक बन्द रखा। मुझे चोरी के मामलें में नही फंसाने व मेरे हल्के कागज बनानें के लिए थानें के पुलिस कर्मी श्री दिलीप ने मेरे से 20,000 रूपये की मांग की तथा कहां की मैने सीआई साहब व हैड साहब से बात कर ली है। तेरी मदद करेगे। उसके बाद मुझे जमानत पर छोड दिया। पुलिस थाने के पुलिसकर्मी श्री दिलीप खुद के लिए व सीआई साहब व हैड साहब के लिए मेरे से 20,000 रूपये की मांग कर रहा है। तथा नही देनें पर मुझे चोरी के मामले में फसानें की धमकिया दे रहा है। मै पुलिसवालों को रिश्वत के रूपये नही देना चाहता हु तथा इनको रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हु। मेरी पुलिसवालों से रंजिश नही हैं तथा न ही कोई लेन–देन के रूपये बाकी हैं। कार्यवाही करावे।

प्रार्थी
सही/–
दिनेश पुत्र श्री सत्यनारायण जाति माली
निवासी जसनगर तहसील रियाबडी जिला नागौर
मोबाईल नम्बर 8690462890

कार्यवाही ए.सी.बी. पाली दिनांक 19.12.2022 वक्त 10.30 ए.एम.

इस समय मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ब्यूरो मुख्यालय से परिवादी के सम्पर्क नम्बरो से अवगत करवाते हुये परिवादी की शिकायत पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करनें के निर्देश प्राप्त हुये जिसके क्रम में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें परिवादी से सम्पर्क किया तो परिवादी ने भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायत की तथा शिकायत के क्रम मे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को पाली एसीबी कार्यालय उपस्थित आने का कहा तो परिवादी ने पाली आने मे असमर्थता बताई तथा जोधपुर आने का कहा। परिवादी के बताये अनुसार मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह श्री पदमपाल सिह पुलिस निरीक्षक, श्री हनुमान सिह कानि व लक्ष्मणदान हैडकानि के एवम कार्यालय हाजा का डिजिटल वाईस रिर्काडर मय मेमोरी कार्ड के पाली से जोधपुर के लिये रवाना होकर जोधपुर पहुचा तथा परिवादी से सम्पर्क किया तो परिवादी ने जोधपुर आना बताया जिस पर उसे जोधपुर कचहरी परिसर मे बुलाया गया। निर्देशानुसार परिवादी श्री दिनेश मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास जोधपुर कचहरी परिसर मे उपस्थित आया तथा एक रिर्पोट प्रस्तुत की। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी की रिर्पोट का अवलोकन कर पूछताछ कर मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि मे आने से रिर्पोट के क्रम मे गोपनीय सत्यापन एव अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादी की रिर्पोट श्री पदमपाल सिह पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द की गई तथा निर्देशित किया गया कि आवश्यक अग्रिम कार्यवाही कर हालातो से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करावे। समय 11.00 ए.एम. पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा परिवादी की रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द की गई। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन कर परिवादी श्री दिनेश को अपना परिचय देते हुये उसका परिचय पुछा तों उसने अपना नाम दिनेश पुत्र श्री सत्यनारायण जाति माली निवासी जसनगर तहसील रियाबडी जिला नागौर मोबाईल 8690462890 बताया साथ ही यह भी बताया कि वर्तमान में जैतारण में फोजी चौराहे पर किराये के मकान में रहता हु। परिवादी श्री दिनेश ने रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि मै दिनेश पुत्र श्री सत्यनारायण जाति माली निवासी गांव जसनगर तहसील रियाबडी जिला नागौर वर्तमान में जैतारण में फोजी चौराहे पर किराये के मकान में रहता हु। मै मेरे टेक्टर बजरी में चलानें का काम करता हु। बुधवार दिनांक 14.12.2022 को मुझे व मेरी पत्नि सायता देवी को पुलिस थाना जैतारण से आये पुलिस स्टाफ श्री सुरज्ञान व अन्य स्टाफ हम

दोनों को पकडकर थानें ले गयें। मेरे पर मोटर साईकल चोरी का आरोप लगाकर मेरे साथ मारपीट की तथा मुझे थानें में चार दिन तक बन्द रखा। मुझे चोरी के मामलें में नही फंसाने व मेरे हल्के कागज बनानें के लिए थानें के पुलिस कर्मी श्री दिलीप ने मेरे से 20,000 रूपये की मांग की तथा कहां की मैने सीआई साहब व हैड साहब से बात कर ली है। तेरी मदद करेगे। उसके बाद मुझे जमानत पर छोड दिया। पुलिस थाने के पुलिसकर्मी श्री दिलीप खुद के लिए व सीआई साहब व हैड साहब के लिए मेरे से 20,000 रूपये की मांग कर रहा है। तथा नही देनें पर मुझे चोरी के मामले में फसानें की धमकिया दे रहा है। मै पुलिसवालों को रिश्वत के रूपये नही देना चाहता हु तथा इनको रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हु। मेरी पुलिसवालों से रंजिश नही हैं तथा न ही कोई लेन–देन के रूपये बाकी हैं। कार्यवाही करावे। मन् निरीक्षक पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन कर परिवादी से पुछताछ करनें पर रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों को ही बताया साथ ही यह भी बताया कि मेरी साहब से फोन पर बात होनें के बाद थानें से पुलिस स्टाफ श्री दिलीप का फोन आया था जिसनें मुझे कागजों पर हस्ताक्षर करनें के लिए पुलिस थाना जैतारण बुलाया उस समय श्री दिलीप नें 20,000 रूपये मांगे थे जिसके लिए मेरे द्वारा हाथा–जोडी करनें पर रिश्वत के रूप में 10,000 देना तय हो गया। अब पुलिस स्टाफ श्री दिलीप मेरे से 10,000 रूपये की ही मांग कर रहा है तथा नही देने पर मुझे चोरी के झूठे मामले में फसाने की धमकिया दे रहे है। परिवादी के बताये अनुसार परिवादी संदिग्ध लोकसेवक से मांग सत्यापन से पूर्व रिश्वत तय कर आया है तथा अब मांग सत्यापन हेतु वार्ता करनें के लिए पुनः भेजनें पर संदिग्ध लोकसेवक को सन्देह हो सकता है इस पर परिवादी द्वारा तय की गयी रिश्वत राशि में से 4,000 रूपये दिलवानें का निर्णय लेकर उक्त नोटो की फोटोकापी करवाकर शामिल कार्यवाही किया गया। परिवादी की रिपोर्ट एवम् पुछताछ पर मामला एक लोकसेवक द्वारा स्वयं के लिए तथा अपने अधिकारी के लिए रिश्वत मांगनें से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधी में आने से ब्यूरो की प्रक्रिया अनुसार लोकसेवक द्वारा मांग की गई रिश्वत राशि का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होनें से गोपनीय सत्यापन करवाये जानें का निर्णय लिया गया। मन् पुलिस निरीक्षक ने मांग के संबध में गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी श्री दिनेश को आवश्यक समझाईश की गई। तत्पश्चात हमराहा कानि. श्री हनुमानसिंह 428 व परिवादी का आपस में परिचय करवाते हुये हनुमानसिंह को निर्देशित किया कि परिवादी श्री दिनेश के साथ जाकर रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करावें। परिवादी व हनुमानसिह को आवश्यक समझाईश कर कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड के श्री हनुमानसिंह को सुपुर्द कर परिवादी के साथ गोपनीय सत्यापन हेतु जैतारण की तरफ वक्त 12.30 पीएम पर रवाना किया गया। समय 07.00 पी.एम. पर उपरोक्त फिगरा के क्रम में रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु श्री हनुमानसिंह कानि. को भेजा गया था जो बाद मांग सत्यापन कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया तथा डिजिटल वाईस रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड के मन् पुलिस निरीक्षक को बन्द हालात में सुपुर्द करते हुये बताया कि मै और परिवादी श्री दिनेश श्रीमान के निर्देशानुसार रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु जैतारण गये। हम दोनो जैतारण पहुचे जहां पुलिस थाना जैतारण से थोडी दुरी पर मैनें कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकोर्डर चालु कर परिवादी श्री दिनेश को देकर मांग सत्यापन हेतु पुलिस थानें की तरफ रवाना किया तथा मै पुलिस थानें के बाहर ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुये खडा रहा। कुछ समय पश्चात श्री दिनेश थानें से बाहर आया तथा मेरे पास आकर मुझे वाईस रिकोर्डर सुपुर्द किया जिसे मैनें बन्द कर अपनें कब्जे में रखा। उसके बाद दिनेश नें मुझे बताया कि मै पुलिस थानें में गया जहां पर पुलिस स्टाफ श्री दिलीप मुझे मिला जिससे मैनें बात की तो उसनें मेरे से रूपये मांगे जिसपर मैनें 4,000 रूपये उसको दिये तो उसनें कहा की बाकी के रूपये के

4C

कितने व कब देगा तब मैनें कहां की कल दे दुगां। तत्पश्चात हालात मैनें आपको बताये तथा श्रीमान के निर्देशानुसार परिवादी श्री दिनेश को जैतारण ही छोडकर पाली उपस्थित आया हु। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक नें मांग सत्यापन वार्ता का डिजिटल वाईस रिकोर्डर चालु कर सुना तो रिकोर्डर में रिश्वत राशि मांग करना स्पष्ट नही पाया गया तथा वार्ता में केवल आंकडों सम्बन्धित वार्ता ही होनें से एवम् रूपये से सम्बन्धित शब्दों का उल्लेख नही होनें से रिश्वत राशि मांग को स्पष्ट नही कहा जा सकता। उपरोक्त तथ्यों के बारे में हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत करवाये। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार परिवादी श्री दिनेश से वार्ता कर रिश्वत सम्बन्धित सत्यापन वार्ता स्पष्ट मांग की बात नही होनें की बात कहनें पर परिवादी श्री दिनेश नें एक बार और जाकर वार्ता करना बताया। परिवादी के बताये अनुसार हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किये तथा बाद विचार–विमर्श परिवादी के बताये अनुसार एक बार और सत्यापन करवाये जानें का निर्णय लिया गया। डिजिटल वाईस रिकोर्डर में से रिकोडिगं वार्ता का मेमारी कार्ड निकालकर मन् पुलिस निरीक्षक नें अपनें कब्जे में सुरक्षित रखा तथा डिजिटल वाईस रिकोर्डर मय नये मेमारी कार्ड के श्री हनुमानसिंह कानि. को सुपुर्द कर कल दिनांक 20.12.2022 को परिवादी से सम्पर्क कर जैतारण जाकर गोपनीय सत्यापन करवानें के लिए निर्देशित किया गया।

दिनांक 20.12.2022 समय 09.00 पी.एम. पर श्री हनुमानसिंह कानि. गोपनीय सत्यापन हेतु जैतारण गया हुआ बाद मांग सत्यापन के उपस्थित आया तथा मन् पुलिस निरीक्षक को डिजिटल वाईस रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड के बन्द हालात में सुपुर्द कर बताया कि श्रीमान के निर्देशानुसार मैं पाली से रवाना होकर जैतारण पहुचा तथा परिवादी श्री दिनेश से सम्पर्क कर बस स्टैण्ड के पास हम दोनों मिलें तब परिवादी नें रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एक बार और करवानें की बात मुझे बताई। मुझे यह भी बताया कि मै रिश्वत राशि के रूपयों में से 2,000 रूपये आज सत्यापन के दौरान श्री दिलीप को देकर रिश्वत राशि मांग की स्पष्ट बात करूगा। परिवादी श्री दिनेश नें दिलीप से मिलनें के लिए फोन पर वार्ता की तो दिलीप नें परिवादी को पंचायत समिति के सामने होटल पर बुलाया। परिवादी के बताये अनुसार रिश्वत राशि मांग से सम्बन्धित वार्ता करते समय मांगी गई रिश्वत राशि में 2,000 रूपये देने का कहने पर उस 2,000 रूपये के नोट की फोटोकॉपी करवा कर मैनें अपनें पास रखी तथा परिवादी श्री दिनेश को डिजिटल वाईस रिकोर्डर चालु कर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर हम दोनों परिवादी की मोटरसाईकल से दिलीप के बताये अनुसार मांग सत्यापन वार्ता हेतु पंचायत समिति के सामनें होटल पर मिलनें के लिये रवाना हुये। मै होटल से थोडी दूर परिवादी की मोटरसाईकल से उतर गया तथा अपनी उपस्थिति छिपातें हुये खडा रहा। परिवादी मांग सत्यापन हेतु होटल पर गया। कुछ समय पश्चात् परिवादी मेरे पास आया तथा मुझे डिजिटल वाईस रिकोर्डर सुपुर्द किया जिसे मैनें बन्द कर अपनें कब्जें में सुरक्षित रखा। उसके बाद हालात मैनें आपको बताये तथा आपके निर्देशानुसार परिवादी श्री दिनेश को जैतारण में छोडा। कानि. श्री हनुमानसिंह के बताये अनुसार मन् पुलिस निरीक्षक नें डिजिटल वाईस रिकोर्डर चालु कर वार्ता को सुना तो माग सत्यापन वार्ता में श्री दिलीप पुलिस कर्मी द्वारा परिवादी से स्वयं के लिए व सीआई साहब एवम् हैडसाहब को देने के लिए रिश्वत राशि की मांग करना तथा रिश्वत की तय राशि में से शेष राशि कल या परसो देना वार्ता में स्पष्ट पाया गया। मन् पुलिस निरीक्षक नें हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किये तथा श्रीमान के निर्देशानुसार अग्रिम ट्रेप कार्यवाही का आयोजन करनें का निर्णय लिया गया।

UL

दिनांक 21.12.2022 समय 03.30 पी.एम. पर निर्देशानुसार परिवादी श्री दिनेश ट्रेप की अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया तथा उपरोक्त फिगरा में श्री हनुमानसिंह कानि. द्वारा बताये तथ्यों की ताईद में बात बताई तथा परिवादी ने बताया की पुलिसकर्मी दिलीप से रिश्वत राशि के रूप में 10,000 रूपये देना तय हुआ था मेरे द्वारा श्री दिलीप को दिनांक 19.12.2022 व दिनांक 20.12.2022 को सत्यापन के समय कुल 6,000 दे दिये है अब 4,000 रूपये रिश्वत के देना शेष है जो मैं आज साथ लेकर आया हु। ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने से विकास अधिकारी पाली के नाम पत्र जारी कर गवाह की तलबी की गई। समय 04.30 पी.एम. पर पंचायत समिति पाली से तलब शुदा गवाह उपस्थित आये जिनको मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देते हुये उनका परिचय पुछा तो उन्होनें अपना परिचय क्रमंश श्री गोरीशंकर पुत्र श्री धनपतराम उम्र 45 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत बाणियावास तहसील पाली जिला पाली मोबाईल नम्बर 9928208108 व श्री बाबुदास पुत्र श्री पुनमदास जाति वैष्णव उम्र 42 वर्ष निवासी डेण्डा तहसील पाली जिला पाली हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत सोडावास तहसील पाली जिला पाली मोबाईल नम्बर 9828512722 बताया। उक्त दोनों गवाहान को आनें के मन्तव्य से अवगत करवातें हुये परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन करवाया तथा मांग सत्यापन सम्बन्धित वार्ता को सुनाया गया। उक्त दोनों गवाहों को परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन कर परिवादी से पुछताछ कर पूर्ण तसल्ली पश्चात् ब्यूरो की अग्रिम गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहनें की मौखिक सहमति दी तथा परिवादी की रिपोर्ट पर अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिनांक अकिंत की। समय 04.40 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक नें उपस्थित परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के रूबरू रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कि कार्यालय के डिजिटल रिकार्डर से अलग–अलग मेमोरी कार्ड में रिकार्ड हैं जिसकी फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट वार्ता बनाया जाना आवश्यक होने से परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में कार्यालय के लेपटॉप से रिकार्ड वार्ता को सुन–सुनकर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता तैयार करना शुरू किया गया जो वक्त 06.45 पी.एम तक फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता तैयार करवाकर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। मांग सत्यापन सम्बन्धित मेमोरी कार्ड जिसमें वार्ता रिकार्ड उक्त वार्ता को कार्यालय के लेपटाप के माध्यम से दो पैन ड्राईव में डाउनलोड करवाया गया। दोनों मेमोरी कार्ड को मूल मानतें हुये सफेद कपड़े की थैली मे सील्ड मोहर कर थैली पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा दोनों पैन ड्राईव जिसमें से एक पेन ड्राईव आरोपी हेतु दुसरा अनुसंधान अधिकारी हेतु खुली हालत में रखा गया। परिवादी ने अपनी श्री दिलीप पुलिसकर्मी के आवाज की पहचान की। उक्त रिकार्ड वार्ता का सील्डशुदा मेमोरी कार्ड पैकेट व दोनो पैन ड्राईव मन् पुलिस निरीक्षक के कब्जे में सुरक्षित रखा। समय 7.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक नें कल दिनांक 22.12.2022 को ट्रेप कार्यवाही आयोजन का निर्णय लेकर हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किये। तत्पश्चात उपस्थित गवाहान व ब्यूरो स्टाफ को आवश्यक गोपनीयता की समझाईश कर कल दिनांक 22.12.2022 को सुबह जल्दी 07.30 ए.एम पर ब्यूरो कार्यालय पाली पर उपस्थित होनें हेतु पांबद कर अपनी–अपनी सकुनत के लिये इजाजत दी गई।

दिनांक 22.12.2022 समय 07.15 ए.एम पर समस्त ब्यूरो स्टाफ व पांबदशुदा गवाहान एवम् परिवादी श्री दिनेश नियत समय पर कार्यालय हाजा उपस्थित आये साथ ही ब्यूरो चौकी द्वितीय से भी पूर्व पांबदशुदा श्री रूपसिंह पुलिस निरीक्षक मय सरकारी वाहन बोलेरो के कार्यवाही में इमदाद हेतु कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। मन् पुलिस निरीक्षक नें रूबरू गवाहान के परिवादी श्री दिनेश को रिश्वत में दी जानें वाली रिश्वत

राशि पेश करने का कहा तो परिवादी श्री दिनेश ने रिश्वत राशि के 4,000 रूपये जिसमें एक नोट 2,000 रूपये का व चार नोट 500–500 रूपये के प्रस्तुत किये। परिवादी श्री दिनेश द्वारा प्रस्तुत नोटो के नम्बर फर्द में अंकित करवाये जाकर रिश्वत राशि के नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाने हेतु श्री दशरथसिंह कानि0 427 से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी मंगवाई जाकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया गया। तत्पश्चात सोडियम कार्बोनेट व फिनोफ्थलीन पाऊडर की क्रिया–प्रतिक्रिया कानि. श्री दशरथसिंह 427 से प्रदर्शित करवाई जाकर फर्द पेशकशी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर तैयार की गई। जिसका विस्तृत विवरण फर्द में अंकित कर फर्द पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल कार्यवाही किया गया। परिवादी को रिश्वत राशि लेन–देन होने के पश्चात गोपनीय ईशारा दो–तीन बार सिर पर हाथ फेरकर या मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल पर मिस्ड कॉल/कॉल करने की समझाईश की गयी। उक्त गोपनीय ईशारे के बारे में ट्रेप कार्यवाही के समस्त सदस्यों को भी समझाया गया। श्री दशरथसिंह कानि0 से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी पुनः कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवाया गया। समय 10.15 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक हमराह स्वतंत्र गवाहान श्री गोरीशंकर, श्री बाबुदास वैष्णव, परिवादी श्री दिनेश एवम् ब्यूरो स्टाफ, सर्व श्री लक्ष्मणदान हैडकानि. 72, किशनसिंह हैडकानि. 92, धर्माराम कानि. 400, रतनसिंह कानि. 357, हनुमानसिंह कानि. 428, नरेन्द्र कानि. 286, ताराचन्द कानि. 176 मय ट्रेप कार्यवाही से सम्बन्धित आवश्यक सामग्री, ट्रेप बाक्स, कार्यालय हाजा का लेपटाप, कम्प्यूटर, प्रिन्टर, एवं कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के जरिये सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आर.जे. 14 यू.डी. 1393 व सरकारी टवेरा गाड़ी नम्बर आर.जे. 14 यूसी 8902 चालक श्री अभयकुमार हैड कानि0 09 एवं कार्यवाही में इमदाद हेतु श्री नरपत चन्द अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय व श्री रूपसिंह पुलिस निरीक्षक भ्र.नि. ब्यूरो पाली–द्वितीय ट्रेप कार्यवाही हेतु जैतारण की तरफ रवाना हुए। समय 01.15 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा उपरोक्त हमरायान के जैतारण कस्बे के बाहर जोधपुर हाईवे पर पहुँचे तथा आरोपी श्री दिलीपसिंह कानि0 की उपस्थिति की जानकारी के लिए परिवादी श्री दिनेश से परिवादी के मोबाईल से वाट्सअप काल करवाया गया तो आरोपी श्री दिलीपसिंह ने दिनेश को अपनी पत्नि से बात कर होटल पर आने का कहा। उक्त वार्ता को डिजीटल वाईस रिकार्डर से रिकार्ड करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री दिनेश ने अपनी पत्नि को फोन कर ब्रिज के पास बुलाया। समय 01.35 पी.एम. पर परिवादी श्री दिनेश ने मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि मेरी पत्नि सायता देवी ब्रिज के पास आ गई हैं। जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत कर डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के चालू कर सुपुर्द कर रिश्वत राशि लेनदेन हेतु हाईवे पर स्थित युथ तिरंगा होटल की तरफ रवाना किया। परिवादी के पिछे–पिछे श्री किशनसिंह हैड कानि0 को होटल पर उपस्थित रहने व रिश्वत राशि लेनदेन पश्चात परिवादी का ईशारा प्राप्त होने पर मन् निरीक्षक पुलिस को सुचित करने की हिदायत कर रवाना किया गया। हमराह ब्यूरो स्टाफ श्री नरेन्द्र कानि0, श्री हनुमानसिंह कानि0 एवं मन् निरीक्षक पुलिस होटल के बाहर ही अपनी–अपनी उपस्थिति छिपाते हुए गोपनीय इशारें के इन्तजार में मुकिम रहें। हमराह अन्य ट्रेप दल के सदस्य एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान दोनो वाहनो में ब्रिज के पास ही अपनी–अपनी उपस्थिति छिपाते हुए मुकिम रहें। समय 02:15 पी. एम. पर रिश्वत राशि आदान–प्रदान होने का ईशारा मन् निरीक्षक पुलिस को युथ तिरंगा होटल जैतारण पर उपस्थित श्री किशनसिंह हैड कानि0 ने रिश्वत राशि आदान–प्रदान होने के पश्चात गोपनीय इशारा किया जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने ट्रेप दल के सदस्यों को भी रिश्वत राशि आदान–प्रदान होने की सूचना दी तथा शीघ्र ही होटल पर पहुँचने हेतु

निर्देशित किया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक हमराह श्री नरेन्द्र कानि0 व श्री हनुमान कानि0 के होटल की तरफ रवाना होकर युथ तिरंगा होटल पर पहुॅचे तो होटल के अन्दर लगी कुर्सियो पर परिवादी, उसकी पत्नि व दो अन्य व्यक्ति बैठे मिले। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री दिनेश को रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता रिकार्ड करने हेतु दिया गया डिजीटल वाईस रिकार्डर श्री दिनेश से प्राप्त कर बन्द कर अपने कब्जे में रखा। परिवादी श्री दिनेश ने एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही श्री दिलीपसिंह कानि0 हैं जिसने मेरे से अभी–अभी रिश्वत राशि मांग कर प्राप्त कर अपने पहने हुए शर्ट की उपरी बायी जेब मे रखे। इसी दौरान हमराह ट्रेप पार्टी के अन्य सदस्य एवं एक स्वतन्त्र गवाह श्री बाबुदास बोलेरो वाहन सहित होटल पर उपस्थित आयें। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना व हमराहियान का परिचय देते हुये आने के मन्तव्य से अवगत करवाकर परिवादी के बताये व्यक्ति से परिचय पूछा तो उस व्यक्ति ने अपना नाम दिलीपसिंह पुत्र श्री मातादीन उम्र 33 वर्ष जाति मीणा निवासी मीणा की ढाणी, उधो का बास पुलिस थाना बानसुर तहसील बानसुर जिला अलवर हाल कानि. 1459 पुलिस थाना जैतारण जिला पाली होना बताया तथा एक अन्य व्यक्ति श्री संजयसिंह पोसवाल पुत्र श्री नारायणसिंह गुर्जर उम्र 30 वर्ष जाति गुर्जर निवासी पीपलखेड़ा पुलिस थाना महुआ जिला दौसा हाल कानि0 772 पुलिस थाना जैतारण होना बताया। तत्पश्चात श्री दिलीप सिंह को परिवादी श्री दिनेश से प्राप्त किये गये रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो उसने अपने पहनी शर्ट की उपरी बायी जेब में होना बताया। उक्त स्थान सार्वजनिक स्थान एवं होटल होने से भीड–भाड एवं अग्रिम कार्यवाही में व्यवधान की संभावना से सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुये अग्रिम कार्यवाही हेतु कस्बे से बाहर पाली रोड की तरफ संपादित करने का निर्णय लिया जाकर हमराह ट्रेप पार्टी के सदस्यों सहित आरोपी श्री दिलीपसिंह व उसके साथ आये श्री संजय सिंह कानि0 एवं परिवादी श्री दिनेश को मौका स्थल युथ तिरंगा होटल से हमराह लेकर वक्त 02.25 पी. एम. पर पाली रोड़ की तरफ रवाना हुआ तथा आरोपी श्री दिलीप सिंह की मोटर साईकिल बुलेट को भी हमराह लिया गया। परिवादी श्री दिनेश की पत्नि को होटल से ही घर जाने की ईजाजत दी गई। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अन्य ट्रेप पार्टी के सदस्यों को भी पाली रोड की तरफ आने हेतु निर्देशित किया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक हमरायान के जोधपुर हाईवे से पाली रोड की तरफ रोड पर ही बने गहलोत भवन के पास पहुॅचे जॅहा पर तलविदा अन्य ट्रेप पार्टी के सदस्य श्री रूपसिंह पुलिस निरीक्षक, श्री रतनसिंह कानि., श्री ताराचन्द कानि. श्री धर्माराम कानि. एवं स्वतन्त्र गवाह श्री गोरीशंकर मय सरकारी वाहन टवेरा नम्बर आर. जे 14 यूसी 8902 चालक श्री अभय कुमार हैड कानि. के हाजर आये तथा भवन के आगे वाहन खड़े कर दोनो गवाहान की उपस्थिति में आरोपी श्री दिलीप सिंह कानि. द्वारा परिवादी दिनेश से प्राप्त की गई रिश्वत राशि के बारे में पुछा तो उसने रिश्वत राशि लेना स्वीकार किया। परिवादी की रिपोर्ट एवं मांग सत्यापन में उजागर हुए तथ्यो के कम में आरोपी दिलीपसिंह कानि0 द्वारा रिश्वत राशि सी.आई साहब व हैड साहब के लिए लेने की बात आई जिसके कम में आरोपी दिलीपसिंह कानि0 से पुछा गया तो उसने रिश्वत राशि स्वयं के लिए ही लेना बताया इस रिश्वत राशि में अन्य किसी का हिस्सा होना नहीं बताया। हाजीर परिवादी श्री दिनेश ने भी बताया कि श्री दिलीप सिंह कानि0 के साथ आये व्यक्ति को मैं नहीं जानता इसने मेरे से कोई रिश्वत राशि की मांग नहीं की परन्तु दिलीप सिंह ने जब मेरे से 4,000/– रूपये रिश्वत राशि प्राप्त कर शर्ट की उपरी बायी जेब में रखी उस समय यह व्यक्ति भी मौजुद था तथा इसने सब कुछ देखा था। दिलीपसिंह कानि0 के साथ आये श्री संजयसिंह कानि0 से पुछा गया तो संजय सिंह कानि0 ने बताया कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं हैं, मैं तो दिलीप सिंह के कहने पर इसके साथ आया हुॅ। यह जरूर हैं कि युथ तिरंगा होटल में दिनेश से श्री दिलीपसिंह कानि0 ने रूपये

मेरे सामने लिये हैं तथा अपनी शर्ट की उपरी बायी जेब में रखे। तत्पश्चात हमराह वाहन में से ट्रेप बाक्स मंगवाया गया तथा दिलीपसिंह कानि0 के हाथों के धोवन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होने से पीने का साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में से दो साफ गिलास निकलवाकर गिलासों में पानी डालकर सोडियम कार्बोनेट पाऊडर का घोल तैयार किया गया। उक्त दोनो गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे हाजरिन ने भी रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त दोनों गिलासों के घोल में दिलीपसिंह कानि0 के दाहिनें व बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को अलग–अलग गिलासों में डुबोकर धुलवाया गया तो दोनों गिलासों का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी मटमैला हो गया जिसे संबंधितों ने हल्का गुलाबी मटमैला होना स्वीकार किया। उक्त दोनो गिलासों के घोल को अलग–अलग साफ चार शीशियों में आधा–आधा भरकर सील चीट कर चीट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर दोनो हाथों की अलग–अलग चारों शीशियों पर मार्क क्रमशः आरएच–1, आरएच–2, एलएच–1, एलएच–2 अंकित किया जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। रिश्वत राशि के बारे में श्री दिलीपसिंह कानि0 ने अपने पहने हुए शर्ट की उपरी बायी जेब में होना बताया जिस पर स्वतन्त्र गवाहान श्री गौरीशकर से श्री दिलीपसिंह कानि0 के शर्ट के उपरी बायी जेब की तलाशी ली तो उसमें कुल 4,000/– रूपये मिले जिनमें एक नोट 2000 रूपये का व चार नोट 500–500 रूपये के होना पाये गये। इस पर पत्रावली से फर्द पेशकशी रिश्वत राशि स्वतन्त्र गवाह श्री बाबुदास को देकर रूपयो के नम्बर का मिलान करवाया गया तो फर्द पेशकशी रिश्वत राशि में वर्णित नम्बर हुबहु होना पाया गया जो इस प्रकार हैं–

1	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	1FD 664022
2	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3GW 102932
3	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2EH 036864
4	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1TN 677631
5	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6BF 555327

उक्त नोट प्रकरण में वजह सबुत होने से कब्जा ब्यूरो लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही तक श्री गौरीशंकर स्वतन्त्र गवाह को आवश्यक हिदायत देकर संभलाये गयें। तत्पश्चात उक्त स्थान पर भी बैठने एवं बिजली की व्यवस्था नहीं होने से ट्रेप कार्यवाही से सम्बन्धित अग्रिम कार्यवाही पंचायत समिति जैतारण के कार्यालय में करने का निर्णय लिया जाकर मन् निरीक्षक पुलिस हमराह समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, दोनो स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी श्री दिनेश, आरोपी श्री दिलीपसिंह कानि0 व उसके साथ आये श्री संजय सिंह कानि0 एवं धोवन की शीशियों को हमराह लेकर सरकारी वाहनो एवं आरोपी की बुलेट मोटर साईकिल नम्बर जीजे 38 एबी 4288 सहित पंचायत समिति जैतारण के लिए वक्त 02.50 पी.एम. पर रवाना होकर वक्त 03.05 पी.एम. पर पंचायत समिति जैतारण कार्यालय पर पहुॅचे। कार्यालय पर उपस्थित सहायक विकास अधिकारी श्री रामचन्द्र प्रजापत से ट्रेप कार्यवाही सम्पादित करने हेतु बिजली युक्त एक कक्ष उपलब्ध करवाने एवं कार्यवाही सम्पादित करने की अनुमती चाही तो श्री रामचन्द्र प्रजापत ने मौखिक सहमति देकर पंचायत समिति में स्थित प्रधान कार्यालय को मन् निरीक्षक पुलिस को संभलाया। तत्पश्चात पंचायत समिति के भवन में प्रधान कार्यालय कक्ष में अग्रिम कार्यवाही सम्पादित करना शुरू किया गया। गवाह श्री गौरीशंकर से रिश्वत राशि 4,000/–रूपये प्राप्त कर उक्त बरामदा रिश्वति राशि को एक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड मोहर कर थैली पर सम्बन्धितगणो के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क–एन अंकित कर कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात

आरोपी श्री दिलीपसिंह कानि0 की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री गौरी शंकर से लिवाई गई तो आरोपी के पहनी हुई पेन्ट के पिछे की दाहिनी जेब में एक पर्स में से 3,500/– रूपये मिले। उक्त राशि में एक नोट 2,000 का व तीन नोट 500–500 रूपये के मिले। उक्त नोटो के नम्बरो के मिलान हेतु मांग सत्यापन वार्ता के दौरान आरोपी ने परिवादी से जो रूपये प्राप्त किये उनकी फोटो कापी पत्रावली में मौजुद हैं नम्बरो के मिलान हेतु पत्रावली गवाह श्री बाबुदास को सुपुर्द कर नोटो का मिलान कराया तो 2000 नोट के नम्बर 6FN 354029 व 500 रूपये के नोट के नम्बर क्रमश 7SE 733103 व 9ED 716898 नोट के नम्बर हुबहु पाये गये। अन्य 500/– रूपये के बारे में श्री दिलीपसिंह कानि0 ने बताया कि यह मेरे स्वयं के रूपये हैं तथा शेष 3,000/– रूपये मैने श्री दिनेश से रिश्वत के प्राप्त किये थे। उक्त 3,000/– रूपये भी रिश्वत राशि होने से श्री गौरी शंकर से प्राप्त कर कब्जा ब्यूरो लिया जाकर एक सफेद कपड़े की थैली में शील्ड मोहर कर थैली पर सम्बन्धितगणों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क–एन–1 अंकित किया गया। पर्स व अन्य 500/– रूपये श्री दिलीप सिंह कानि0 को सुपुर्द किये गये। आरोपी श्री दिलीप सिंह कानि0 की जामा तलाशी में उसके पास एक विवो कम्पनी का मल्टीमिडिया मोबाईल जिसके आई.एम.ई. आई नम्बर 864407058823636 व 864407058823628 व दो सीम जिसके नम्बर 8742818676 एयरटेल व दुसरी 8432682627 जियो कम्पनी की होना पाया गया। उक्त मोबाईल भी प्रकरण में वजह सबुत होने से जब्त कर कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री दिलीप सिंह कानि0 के पहनी हुई जिस शर्ट से रिश्वत राशि बरामद हुई उक्त शर्ट की जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से पहनने के लिए शर्ट की व्यवस्था कर आरोपी के पहने हुए शर्ट को उतार कर एक साफ गिलास मंगवाकर उसमें साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट पाऊडर का घोल तैयार किया गया। गिलास में भरा घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे हाजरिन ने भी रंगहीन होना स्वीकार किया। गिलास के घोल में आरोपी दिलीप सिह कानि0 के शर्ट की उपरी बायी जेब को उलटवाकर डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास में पानी का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया जिसे संबंधितों ने गुलाबी होना स्वीकार किया। गिलास के घोल को अलग–अलग साफ दो शीशियों में आधा–आधा भरकर सील चीट कर चीट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर दोनो शीशियों पर मार्क क्रमशः एस–1, एस–2, अंकित किया जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात उक्त शर्ट की जेब को सुखाकर उस पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड मोहर कर थैली पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मार्क–एस अंकित किया जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। मौके पर श्री दिलीपसिंह के साथ मिले श्री संजयसिंह की इस प्रकरण में संलिप्तता नहीं होने के कारण उसे रूखसत किया जावेगा। तत्पश्चात कार्यालय हाजा का डिजीटल वायस रिकार्डर जिसमें लेन–देन वार्ता रिकार्ड करने हेतु परिवादी को सुपुर्द किया गया था जो लेन–देन वार्ता रिकार्ड के पश्चात परिवादी से प्राप्त कर मन् निरीक्षक पुलिस ने कब्जे में सुरक्षित रखा था। जिसको चालु कर रिकार्ड वार्ताएं सुनी गयी तो लेन–देन के वक्त वार्ता रिकार्ड होना पाया गया। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड वार्ताओं की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट पृथक से तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही की जायेगी। श्री दिलीपसिंह कानि0 ने बताया कि मैं भाटीयों का मोहल्ला जैतारण में श्री भवानीसिंह भाटी के मकान में किराये रहता हुँ अतः किराये के कमरे की तलाशी हेतु हमराह श्री रूपसिंह पुलिस निरीक्षक जाप्ता श्री धर्माराम कानि0 को मय सरकारी वाहन टवेरा चालक श्री अभय कुमार हैड कानि0 मय लेपटाप, प्रिन्टर के उक्त स्थान पर रवाना किया।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से एकत्रित साक्ष्यों के विश्लेषण से पाया गया की परिवादी श्री दिनेश को चोरी के झूठे मामले में फसाने की धमकी देकर व धारा 151 सी.आर.पी.सी. में की गई कार्यवाही के कागजात में मदद करने की एवज में श्री

दिलीपसिंह कानि0 1459 पुलिस थाना जैतारण द्वारा परिवादी से मांग सत्यापन के समय रिश्वत राशि 6,000/– रूपये प्राप्त की गई जिसमें से 3,000/– रूपये तथा दौराने ट्रेप कार्यवाही व आज दिनांक को 4,000/– रूपये वक्त लेन–देन प्राप्त किये जो आरोपी श्री दिलीपसिंह कानि0 के कब्जे से बरामद होने से आरोपी श्री दिलीपसिंह कानि0 1459 पुलिस थाना जैतारण जिला पाली का उक्त कृत्य जुर्म अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता है। समय 05.30 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस पदमपाल सिंह मय सरकारी वाहन टवेरा संख्या आरजे 14 यूसी 8902 चालक श्री अभय कुमार हैड कानि0 मौतबीर श्री गौरी शंकर, बाबुदास व परिवादी श्री दिनेश कुमार के घटना स्थल युथ तिरंगा होटल का निरीक्षक कर फर्द घटना स्थल नक्शा मौका तैयार कर शामिल पत्रावली की गई बाद नक्शा मौका केघटना स्थल से समय 06.20 पी.एम. पर पंचायत समिति जैतारण उपस्थित आया। समय 06.30 पी.एम. पर प्रकरण में आरोपी श्री दिलीप सिंह कानि0 1459 को गिरफ्तार कर फर्द गिरफतारी तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। समय 06.40 पी.एम. पर परिवादी श्री दिनेश, उसकी पत्नी सायता एवं आरोपी श्री दिलीप सिंह कानि0 1459 के बीच हुई लेनदेन से पूर्व मोबाईल पर हुई वार्ता एवं लेनदेन के वक्त हुई रूबरू वार्ता जो मेमोरी कार्ड मे रिकार्ड है। उक्त वार्ता को परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान को सुनाते हुए कम्प्यूटर के माध्यम से सुन–सुन कर एवं समझ–समझकर हुबहु फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता वक्त 10.20 पी.एम तक तैयार करवाकर फर्द पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवा गये। उक्त वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर के माध्यम से मेमोरी कार्ड में से वार्ता को दो अलग–अलग पैन ड्राईव में अपलोड किया गया। रिकार्ड वार्ता के मेमोरी कार्ड को मूल मानते हुए सफेद कपड़े की थैली मे सील मोहर कर थैली पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया तथा एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु व दूसरा पेन ड्राईव आरोपी हेतु खुली हालत में रखा गया।

उपरोक्त तथ्यो एवं सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री दिनेश को चोरी के झूठे मामले में फसाने की धमकी देकर व धारा 151 सी.आर.पी.सी. में की गई कार्यवाही के कागजात में मदद करने की एवज में श्री दिलीपसिंह कानि0 1459 पुलिस थाना जैतारण द्वारा परिवादी से मांग सत्यापन के समय रिश्वत राशि 6,000/– रूपये प्राप्त की गई जिसमें से 3,000/– रूपये तथा दौराने ट्रेप कार्यवाही 4,000/– रूपये वक्त लेन–देन प्राप्त किये जो आरोपी श्री दिलीपसिंह कानि0 के कब्जे से बरामद होने से आरोपी श्री दिलीपसिंह कानि0 1459 पुलिस थाना जैतारण जिला पाली का उक्त कृत्य जुर्म अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से आरोपी दिलीपसिंह पुत्र श्री मातादीन उम्र 33 वर्ष जाति मीणा निवासी मीणा की ढाणी, उधो का बास पुलिस थाना बानसुर तहसील बानसुर जिला अलवर हाल कानि. 1459 पुलिस थाना जैतारण जिला पाली के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन श्रीमान् महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा मे सादर प्रेषित है।

(पदमपाल सिंह)
निरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
पाली–प्रथम

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथ सूचना रिपोर्ट श्री पदमपाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-द्वितं ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवार अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री दिलीप सिंह कानिस्टेब 1459, पुलिस थाना जैतारण, जिला पाली के विरूद्ध अपराध घटित होना पा जाता है। अतः अपराध संख्या 483/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूच रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

(सवाई सिंह गोदारा)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 4112-15 दिनांक 23.12.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली ।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला पाली।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-प्रथम।

23/12/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।